राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 985/2025

मणी देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 20.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र दातिना, खींवसर, नागौर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.205 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पीएचसी, उन्हैल, झालावाड़ में किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को निरन्त वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र दातिना, खींवसर, नागौर से पीएचसी, उन्हैल, झालावाड़ में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किये जाने का प्रश्न है, तो हम पाते हैं कि *मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति कमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग की अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित किया हुआ है।* आलोच्य आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किये जाने का तथ्य अंकित है।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य